फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
धानाराम पुत्र पुनाजी जाति घांची निवासी बाली तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025/715

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31/12/25	प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपनी संयुक्त सयुक्त सह खातेदारी भूमि ग्राम चामुण्डेरी गेडतियान के खसरा नंबर 140 रकबा 13.20 हैक्टर का सह खातेदारो की सहमति के आधार पर तहसीलदार, बाली द्वारा मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप नक्शे में तरमीम नहीं कर गलत तरमीम करने से नक्शे में तरमीम शुद्धि के लिये आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पत्र के सबंध में तहसीलदार, बाली से जांच रिपोर्ट लिये जाने पर तहसीलदार, बाली ने मौके व रेकर्ड की जांच कर अपने कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/2025/3346 दिनांक 30.12.2025 से रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में वर्णित किया कि प्रार्थना पत्र के सबंध में पटवारी हल्का, धणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार आपसी सहमति से बंटवारा के अनुसार खसरा नंबर का रकबा एवं खातेदारो के खाते का अमल दरामद जमाबंदी में सही दर्ज हुआ है लेकिन नक्शे में तरमीम सही दर्ज नहीं हुई हैं। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नंबर का अंकन गलत दर्ज हुआ है अर्थात् नजरी नक्शा में दर्ज खसरा नंबर जो प्रस्तावित तरमीम के अनुसार दर्शाये गये है उसी अनुसार ऑन लाईन नक्शा में खसरो का अंकन दर्शाया जाये। प्रकरण राजस्व विविध में पंजिबद्ध किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं इस सबंध में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट एवं संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी में सभी सह खातेदारो के नाम भूमि विभाजन के बाद अलग-अलग खाते में सही तौर पर दर्ज है, परन्तु कायम बटा नंबर खातेदारो के मौके की स्थिति के विपरित है। तथा इस हेतु पक्षकारो द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं हल्का पटवारी धणी द्वारा जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तावित नजरी नक्शा में समानत है। इसके साथ ही भूमिधारी तहसीलदार, बाली भी जांच रिपोर्ट में इस तथ्य को स्वीकार करते है। अतः राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 व 136 के तहत नक्शे में हुई त्रुटि को दुरस्त कर तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तावित तरमीम के अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, बाली एवं पटवारी हल्का, धणी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नक्शा को आदेश का भाग माना जावे। आदेश की पालना में नक्शे में तरमीम शुद्धि के लिये आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का,धणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 31/12/25 सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली जिला - पाली (राज.) *	